हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व वाद संख्या 112/2021 अनवान खेताराम बनाम रेखाराम वगैरह

तारीख हुकम	
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय केरावा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 03.12.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, केरावा राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय केरावा पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर
03.12.2021	पत्रावली राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय केरावा पर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित मय अधिवक्ता उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है जो के पैतृक भूमि मौजा मौजा सुरा नरपतान पटवार क्षैत्र सुरा तहसील व जिला बाड़मेर मे खसरा नबर 212 रकबा 81.09 बीघा की आयी हुई है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट के समय वादी के पिता सागा, प्रतिवादी संख्या 01 के पति भूरा तथा प्रतिवादी संख्या 02 के पिता महेशा का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था, जिसमें तीनों भाईयों के परिवार का एक समान 1/3-1/3 हक हिस्सा बनता था। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का खतौनी बंदोबस्त संयुक्त रूप से वादी एंव प्रतिवादीगण के नाम अंकित होना था किन्तु सेटलमेंट अधिकारियो की भूलवश अकेले भूरा वल्द तमाची कौम भील के नाम दर्ज हो गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 अनपढ एंव ग्रामीण व्यक्ति होने से उक्त त्रुटि का पूर्व में ज्ञान नहीं हो सका। वादग्रस्त भूमि वादी एंव प्रतिवादगण की संयुक्त कब्जा काश्त की पैतृक भूमि है जिस पर वादी एव प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट से चला आ रहा है तथा वादी अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करता रहा है ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त पैतृक स्वामित्व व कब्जे काश्त की भूमि मे अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार के रूप मे अंकित करवाने का विधिक अधिकारी है, जिस पर उक्त वाद दर्ज किया जाकर पक्षकारान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण 01 व 02 ने आपसी रजामन्दी से प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 शिविर स्थल ग्राम पंचायत केरावा पर प्रस्तुत कर वादी व प्रतिवादीगण 01 व 02 का 1/3-1/3 हिस्सा खातेदारी प्रदान करने की सहमति प्रस्तुत की। अतः वादी व प्रतिवादीगण 01 व 02 की पैतृक भूमि मौजा मौजा सुरा नरपतान पटवार क्षैत्र सुरा तहसील व जिला बाड़मेर मे खसरा नबर 212 रकबा 81.09 बीघा मे प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निणर्य मजमे आम सुनाया गया।

खेताराम

रेखाराम

आनंद

(आनंद कुमार)
सरपंच
ग्राम पंचायत केरावा
पं.स. बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प कोर्ट कैरावा)

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.) अंतिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
खेताराम पुत्र सांगाराम जाति भील निवासी सुरा नरपतान तहसील व जिला बाड़मेर	बनाम	1. रेखा पत्नी भूरा जाति भील निवासी सुरा नरपतान तहसील व जिला बाड़मेर 2. जोगाराम पुत्र महेशाराम जाति भील निवासी सुरा नरपतान तहसील एवं जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार बाड़मेर

दावा बाबत् 88, 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 112/2021

निर्णय दिनांक :– 03.12.2021

वादी खेताराम एवं वादी के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी रेखा व जोगाराम एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उपस्थित में इस वाद में आज तारीख 03.12.2021 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) फास्टट्रेक बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सुरा नरपतान पटवार क्षेत्र सुरा तहसील बाडमेर के खसरा संख्या 212 रकबा 81.09 बीघा में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। सभी का 1/3–1/3 हिस्सा निर्धारित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 03.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

(रोहित चौहान)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, फास्टट्रेक बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प4		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपया पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेषिका की तामील	
6 कमिष्नर की फीस		कमिष्नर की फीस	
7 आदेषिका की तामिल			
जोड		जोड	